

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

दूरभाष : 91-755-2583650, फेक्स : 2583651, ई-मेल civil.mprmsa@gmail.com

क्रमांक/लो.शि.सं./भवन/अनुरक्षण/2017-18/282
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/4/18

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला, मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवनों में 15 मई के पूर्व पुताई कार्य संपन्न कराए जाने बाबत।
सन्दर्भ :- माननीय मंत्रीजी की बैठक दिनांक 03.04.2018 में प्रदत्त निर्देश।

:::: 000 ::::

माननीय मंत्रीजी द्वारा बैठक दिनांक 03.04.2018 में निर्देश दिए गए हैं कि समस्त विभागीय विद्यालयों में 15 मई के पूर्व व्यापक अभियान चलाकर पुताई एवं आवश्यक मरम्मत कार्य संपन्न किए जाए। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

- 1/ नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. एफ 6-6/2016/18-3 दि० 26.07.2016 अनुसार नगरीय निकाय को प्राप्त शिक्षा उपकर की राशि से शासकीय एवं नगरीय निकायों की शालाओं के शाला परिसर एवं शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शाला निर्माण/पुनर्निर्माण, शाला शौचालयों का निर्माण/मरम्मत, नियमित सफाई, भवन की पुताई, विद्युत सुविधा एवं विद्युत देयकों पर व्यय आदि पर करने के निर्देश हैं। अतः नगरीय निकायों के पास उपलब्ध शिक्षा उपकर की राशि से प्राथमिकता के आधार पर शाला भवनों की मरम्मत एवं आवश्यक घटकों को शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें।
- 2/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 14/29/2016/22/पं.-1 दिनांक 06 01 2016 में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पंच परमेश्वर योजना से शालाओं की नियमित साफ-सफाई एवं रख-रखाव करने के निर्देश हैं। इनके अनुसार कार्यवाही करें।

—2—

3/ नगर निगम एवं पंचायत के अतिरिक्त उपरोक्त कार्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत स्कूलों को प्राप्त होने वाली वार्षिक शाला अनुदान राशि/शाला विकास निधि, या विद्यालय में उपलब्ध साफ-सफाई हेतु अन्य निधि (स्काउट गाईड/रेडक्रॉस निधि) से भी कराया जा सकता है।

अतः आपके जिला अंतर्गत संचालित शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय के समस्त प्राचार्यों को निर्देशित करे कि वे विद्यालय भवनों में 15 मई के पूर्व पुताई तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

शिल्पा गुप्ता

अपर परियोजना संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर

पृ.क्रमांक/भवन/2018/ 2606
प्रतिलिपि-

सागर दिनांक 24.4.2018

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर परियोजना संचालक, आरएमएसए, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्राचार्य शास. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
7. कार्यालयीन कम्प्यूटर प्रभारी भवन अनुरक्षण फोल्डर में संकलन हेतु।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
आरएमएसए, जिला सागर